10964

हरियाणा HARYANA

684365

ट्रस्ट नामा

स्टाम्प 50/—रूपये न0. 23332 दिनांक 28—2—2007

आई0 डी0 मिनौचा , स्टाम्प विक्रेता, रोहतक

मैं राजेश नवल जैन सुपुत्र श्री दयाचन्द नवल जैन निवासी 692/3,नजदीक पुरानी सब्जी मण्डी , बाबरा मौहल्ला रोहतक का हूँ ।

यह कि मैने पीड़ित, असहाय, पिछडे व अल्पसंख्यक जैन समाज की सेवा एवं सहायता हेतू एवं मानव जाति के धार्मिक , नैतिक, सामाजिक , शैक्षणिक व अध्यात्मिक उत्थान हेतू **एम यू एच जैन मैमोरियल एजूकेशनल ट्रस्ट** की स्थापना की हुई हैं और यह ट्रस्ट धार्मिक, नैतिक, सामाजिक,शैक्षणिक व आध्यात्मिक उत्थान के लिए वचनबद्व हैं । परन्तू मैने उक्त ट्रस्ट के सम्बन्ध में कोई लिखित विलेख निष्पादित करके पंजीकृत नही कराया है जिसके कारण उक्त ट्रस्ट का कार्य सुचारू रूप से करने में कई बार परेशानी होती है तथा भविष्य में उक्त ट्रस्ट व इसकी सम्पति के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हो सकता है । भविष्य में उक्त धर्मार्थ ट्रस्ट व इसकी सम्पति के समबन्ध में कोई किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो तथा उक्त न्यास का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे इसलिए मै यह न्यास पत्र निष्पादित करके पंजीकृत करा रहा हूँ ।

Rajesh Nawal.

23332 / 28/7/07 Agreement Jain S/8 Deyal ... for Trust ... [illegible handwriting]

I. D. ...
ROHTAK

प्रलेख न: 10964 दिनाँक 01/03/2007

डीड संबंधी विवरण	
डीड का नाम	TRUST
तहसील/सब-तहसील	रोहतक
गांव/शहर	रोहतक

धन संबंधी विवरण	
	स्टाम्प डयूटी की राशि 50.00 रुपये
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 50.00 रुपये	पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Drafted By: रामधारी

यह प्रलेख आज दिनाँक 01/03/2007 दिन गुरूवार समय 1-2 बजे श्री/श्रीमती/कुमारी MUH Jain Mamorial Education Trust पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी दया चन्द नवल जैन निवासी 692/3 नजदीक सब्जी मण्डी बाबरा मोहल्ला रोहतक द्वारा पँजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता Rajesh Nawal.

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
रोहतक रोहतक

श्री MUH Jain Mamorial Education Trust thru राजेश नवल जैन(Thru), MUH Jain Mamorial Education Trust thru अजय जैन(Thru), MUH Jain Mamorial Education Trust thru नरेश कुमार जैन(Thru), MUH Jain Mamorial Education Trust thru गीता जैन(Thru), MUH Jain Mamorial Education Trust thru नकुल जैन(Thru), MUH Jain Mamorial Education Trust thru सरोज जैन(Thru), MUH Jain Mamorial Education Trust thru रजनी जैन(Thru), MUH Jain Mamorial Education Trust thru विवेक नवल जैन(Thru), MUH Jain Mamorial Education Trust thru अदर्श जैन(Thru)

उपरोक्त न्यासकर्ता व श्री/श्रीमती/कुमारी हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी धर्म सिंह नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी रोहतक व श्री/श्रीमती/कुमारी दयाचन्द नवल जैन पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी हरस्वरूप नवल जैन निवासी 692/3 नजदीक पुरानी सब्जी मण्डी बाबरा मौहल्ला रोहतक ने की।
साक्षी न: 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी न: 2 की पहचान करता है।

दिनाँक 01/03/2007

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
रोहतक रोहतक

यह कि अब मै अपनी स्वस्थ इन्द्रियो, स्थिर बुद्वि और स्थिर चित् की अवस्था में बिना किसी के दबाव व आग्रह के अपनी प्रसन्नता से 2100/–द्वारा धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना करता हूँ ।

ट्रस्ट का नाम

यह कि उक्त ट्रस्ट को " **एम यू एच जैन मैमोरियल एजूकेशनल ट्रस्ट** " के नाम से सम्बोधित किया जाएगा। इस ट्रस्ट का नाम सदस्यों की आम सहमति से बदला भी जा सकता हैं ।

मुख्य कार्यालय

यह कि ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय " 906/9, केवलगंज , नजदीक बाबरा मौहल्ला रोहतक " मे होगा । यह पता सदस्यो की आम सहमति से स्थानान्तरति भी हो सकेगा ।

कार्यक्षेत्र

यह कि उक्त ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त हरियाणा राज्य होगा व सदस्यों की आम सहमति से आवश्यकतानुसार इस न्यास का कार्य क्षेत्र बढाया भी जा सकता है ।

ट्रस्ट की सम्पति

यह कि मेरे द्वारा दी गई उक्त राशी मु0 2100/– रू0 का ट्रस्ट पूर्ण रूपेण स्वामी होगा तथा इसके अतिरिक्त चल अचल सम्पति नकद रुपया, सोना, चांदी, आभूषण, भूमि, भवन इत्यादि जो भी ट्रस्ट को किसी व्यक्ति, संस्था, ट्रस्टी और सरकार द्वारा प्राप्त होगा अथवा ट्रस्ट की आय से खरीदा जाएगा वह सब चल–अचल सम्पति ट्रस्ट की होगी ।

ट्रस्ट के उद्देश्य

1. यह कि औषधालय, धर्मशाला, प्याऊ, विद्यालय ,मन्दिर, सत्संग भवन, पुस्तकालय, पार्क आदि की स्थाना करना, उनकी व्यवस्था करना।
2. जरूरतमन्द, वृद्धों, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण हेतू कार्य करना, उन्हें आत्म निर्भर बनाने में सहयोग करना, उनके लिए आश्रम, रैन बसेरा, शिक्षा संस्थान का निर्माण, संचालन एवं रख रखाव करना।
3. गाय एवं अन्य पशुओं के कल्याण हेतू कार्य करना। हस्पताल आदि खोलना, उनकी व्यवस्था व संचालना करना ।
4. महिलाओं एवं कन्याओं के लिए सिलाई, कढाई, रंगाई आदि के लिए स्कूल खोलना तथा उनका संचालन करना।

Rajesh Nanwal.

5. अल्पसंख्यक जैन समुदाय के लिए सभी सरकारी राज्य एवं केन्द्रीय /गैर सरकारी संस्थाओं से सभी प्रकार की सहायता व सुविधाए जैसे दान, अनुदान, लोन इत्यादि जो भी एक अल्पसंख्यक समुदाय को मिलता है , प्राप्त करना क्योंकि यह ट्रस्ट अलपसंख्यक समुदाय वालें लोगों से बना हैं ।
6. दैविक आपति या आकस्मिक दुर्घटना से पीडित मानव समाज की सहायता करना ।
7. निर्धन, असहाय, वृद्ध, अनाथ, विधवा, अपंग तथा रोग से पीडितों ही हर प्रकार से सहायता करना।
8. मानव समाज में फैली हर प्रकार की कुरीतियों को दूर करने के उपाय करना।
9. धार्मिक साहित्य तथा पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।
10. इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य आधुनिक शिक्षा का प्रचार करने के लिए शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करना तथा संचालन करना । तकनीकि एवं व्यवसायिक कोर्सो एवं प्रशिक्षण हेतू आई0 टी0 आई स्थापित करना। पोलीटैकनीक , इंजीनियरिंग, मैडीकल और नर्सींग कालेज इत्यादि खोलना । बी0 एड0, जे0 बी0 टी0 और डी0 एड0 कालेज इत्यादि खोलना । ग्रमीण व शहरी के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण देना व उनके रोजगार स्थापित करवाने मे उनको स्वरोजगार चलाने हेतू निम्नलिखित व्यवसायिक कोर्सो का प्रशिक्षिण देना जैसे वैल्डर, इलैक्ट्रीशियन, मोटर मकैनिक, (आटोमोबाईल टैक्नोलोजी), फिटर , रेडियों एण्ड टी0 वी, कारपेन्टर, पलम्बर, बलैकस्मिथ,टर्नर, मशेनिस्ट, ए0 सी एण्ड रैफरीजरेशन, हैलथ वर्कर, ड्राफटसमैन, आशुलिपिक एवं कम्पुटर, कटिंग टेलरींग,ड्रैस मेकिंग एवं ब्युटीशियन आदि अनेक कोर्सो का प्रशिक्षिण देना ।
11. साधु सन्तों के प्रवचनों का आयोजन करना। साधु समाज व रोग से पीडित लोगों के लिए भोजन आदि का प्रबन्ध करना
12. पर्यावरण की रक्षा हेतू उपाय करना, वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाना तथा पर्यावरण के सम्बन्ध में लोगो को जानकारी देना ।
13. ट्रस्ट के लिए धन इकट्ठा करना व ट्रस्ट के उद्देश्यों की पुर्ति हेतू राज्य /केन्द्र सरकार / वित्तीय संस्थाए व आम जनता से दान , अनुदान व ऋण आदि प्राप्त करना ।
14. यह कि उक्त ट्रस्ट पूर्ण रूप से एक गैर राजनीतिक संस्था/ट्रस्ट होगा तथा हर प्रकार की राजनीति से मुक्त होकर समाज/मानव व देश सेवा करेंगा।
15. उपरोक्त सभी प्रावधानों का लाभ कोई भी व्यक्ति बिना किसी जाति–पाति, धर्म, भेदभाव से उठा सकेगा।

<u>बोर्ड आफ ट्रस्टीज</u>

क– ट्रस्ट का एक बोर्ड आफ ट्रस्टीज होगा जिसमें ट्रस्ट के वर्तमान ट्रस्टी एवं भविष्य में होने वाले ट्रस्टी शामिल होंगे।

ख— वर्तमान ट्रस्टी :—

1—	श्री राजेश नवल जैन पुत्र श्री दयाचन्द नवल जैन मकान न0.692/3, नजदीक सब्जी मण्डी , बाबरा मौहल्ला , रोहतक ।	प्रधान
2—	श्री अजय जैन पुत्र श्री ईश्वरदास जैन 302/18, नजदीक यू0 बी0 आई0 , रेलवे रोड , टोहाना ।	उपप्रधान
3—	श्री नरेश कुमार जैन पुत्र श्री लाल चन्द जैन 474/10,बाबरा मौहल्ला , रोहतक ।	सचिव
4—	श्रीमति गीता जैन पत्नी श्री नरेश कुमार जैन 474/10,बाबरा मौहल्ला, रोहतक ।	सहसचिव
5—	श्री नकुल जैन पुत्र श्री विनोद कुमार जैन 302/18, नजदीक यू0 बी0 आई0 , रेलवे रोड , टोहाना ।	कोषाध्यक्ष
6—	श्रीमति सरोज जैन पत्नी श्री दयाचन्द नवल जैन मकान न0.692/3, नजदीक सब्जी मण्डी , बाबरा मौहल्ला , रोहतक ।	सदस्य/ट्रस्टी
7—	श्रीमति रजनी जैन पत्नी श्री अजय जैन 302/18, नजदीक यू0 बी0 आई0 , रेलवे रोड , टोहाना ।	सदस्य/ट्रस्टी
8—	श्री विवेक नवल जैन पुत्र श्री दयाचन्द नवल जैन मकान न0.692/3, नजदीक सब्जी मण्डी , बाबरा मौहल्ला , रोहतक ।	सदस्य/ट्रस्टी
9—	श्री अचल जैन पुत्र श्री नरेश कुमार जैन 474/10, बाबरा मौहल्ला, रोहतक ।	सदस्य/ट्रस्टी

पदाधिकारी

यह कि इस ट्रस्ट के निम्नलिखित ट्रस्टी पदाधिकारी होगें

1–	श्री राजेश नवल जैन पुत्र श्री दयाचन्द नवल जैन	प्रधान
2–	श्री अजय जैन पुत्र श्री ईश्वरदास जैन	उपप्रधान
3–	श्री नरेश कुमार जैन पुत्र श्री लाल चन्द जैन	सचिव
4–	श्रीमति गीता जैन पत्नी श्री नरेश कुमार जैन	सहसचिव
5–	श्री नकुल जैन पुत्र श्री विनोद कुमार जैन	कोषाध्यक्ष

पदाधिकारियों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और पांच वर्ष के पश्चात चुनाव द्वारा नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी तथा ट्रस्टीगण अपने में से ही सर्वसम्मति द्वारा उनका चुनाव करेगें। यदि पदाधिकारियों में से किसी कारणवश स्थान रिक्त हो जाएगा तो शेष ट्रस्टीगण जिनमें पदाधिकारी शामिल होंगे को अधिकार होगा कि किसी को भी शेष काल के लिए रिक्त हुए स्थान पर सर्वसम्मति से चुनले ।

ट्रस्टीगण की योग्यता व संख्या

कोई भी व्यक्ति जो निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो, भारत का नागरिक हो, तथा जिसकी आयू कम से कम 18 वर्ष हो व अल्पसंख्यक जैन समुदाय का हो ट्रस्टी बनने के लिए आवेदन दे सकेगा और ट्रस्टीगण उसे सर्वसम्मति द्वारा ट्रस्टी नियुक्त करने के अधिकारी होंगे। परन्तु ट्रस्टीगण की संख्या 9 से अधिक नहीं होगी। तथा ट्रस्ट के सदस्यों की कम से कम संख्या 7 होगी।

ट्रस्टीगण के अधिकार एवं कर्तव्य

1. पदाधिकारियो का सर्व सम्मति द्वारा चुनाव करना।
2. वर्ष भर का आय व्यय का ब्यौरा लेना व पारित करना।
3. भविष्य के लिए कार्यक्रम निश्चित करना।
4. हिसाब–किताब की जांच के लिए आडिटर नियुक्त करना।
5. यदि ट्रस्टी किसी सदस्य को ट्रस्ट के कार्य के योग्य नहीं समझे तो उसे सर्वसम्ममति से निष्कासित कर सकेंगे।
6. वार्षिक कार्यक्रम के बारे में सचिव की रिपोर्ट लेना।
7. ट्रस्टी बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को आवेदन पत्र देने पर सर्वसम्मति द्वारा ट्रस्टी नियुक्त करना परन्तु ट्रस्टीगणों की कुल संख्या 9 से ज्यादा नहीं होगी।

Rajesh Nawal

8. ट्रस्ट के लिए सर्वसम्मति द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति करना उनके वेतन का निर्धारण करना उनकी सर्विस बारे में नियम बनाना, उनमें संशोधन करना, निलम्बित करना तथा उन्हें हटाना।
9. ट्रस्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम तथा उपनियम बनाना।
10. ट्रस्ट की धन राशि व आय को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यय करना।
11. ट्रस्ट की चल–अचल सम्पति का प्रबन्ध करना, उसकी देखभाल करना , उसकी सुरक्षा स्थायित्व वृद्धि हेतू सभी कार्य व उपाय करना।
12. ट्रस्ट की सम्पति बारे कोई झगडा निपटाना, हिसाब किताब करना, कर्जा देना, समझौता करना, मुकदमा करना, फैसला आदि करना, उसको मन्जूर करना या उसको छोड़ना या उसके बारे में किसी को अधिकार देना।
13. ट्रस्ट की सम्पति की मुरम्मत करना, नव निर्माण करना।
14. टैक्सों की अदायगी करना।
15. ट्रस्ट द्वारा किसी संस्था का नाम निश्चित करना या बदलना। किसी भी ट्रस्टी को ट्रस्ट की अचल सम्पति को किसी प्रकार से स्थानान्तरित करने , विक्रय , रहन, दान इत्यादि करने का अधिकार नहीं होगा। परन्तु यदि ट्रस्टीगण ट्रस्ट के हित के लिए ट्रस्ट की चल अचल सम्पति का अन्तरित करना चाहंगे तो विशेष बैठक के अन्दर उपस्थित सभी ट्रस्टीगणों की सर्वसम्मति द्वारा प्रस्ताव पारित करके ट्रस्ट की चल अचल सम्पति को विक्रय , रहन, दान इत्यादि द्वारा स्थानान्तरति कर सकेंगे। परन्तु ऐसा करने से जो धन / रूपया प्राप्त होगा। वह ट्रस्ट के उदेश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
16. ट्रस्ट के उदेश्यों की पूर्ति व सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्य कार्य करना।
17. यह कि सभी ट्रस्टीगण व पदधिकारी निशुल्क कार्य करेंगे।

वार्षिक अधिवेशन व साधारण अधिवेशन

वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा। इसकी सूचना ट्रस्टीगण को सात दिन पहले देनी होगी। इस अधिवेशन में वर्ष का कार्य विवरण एवं आय व्यय का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा और स्वीकृत किया जाएगा। अन्य कार्य प्रधान की आज्ञा से होंगे। बैठक का कोरम कुल संख्या का दो तिहाई होगा ।

साधारण अधिवेशन आवश्यकता अनुसार हुआ करेंगे। इसके लिए तीन दिन पूर्व सूचना आवश्यक होगी। इसमें ट्रस्ट की सामान्य नीति के सम्बन्ध में समस्त प्रश्नों व समस्याओं का निर्णय लिया जाएगा। नियम व उपनियम में संशोधन किया जाएगा तथा अन्य सभी कार्य जो भी ट्रस्ट के लिए लाभदायक एवं आवश्यक होंगे किए जाएंगे।

पदाधिकारी एवं ट्रस्टीगण का स्थान निम्नलिखित परिस्थितियों में रिक्त माना जाएगा :–

1. स्वर्गवास हो जाने पर मृत्यू की तिथि से।
2. त्याग पत्र देने पर, त्याग पत्र के स्वीकार होने की तिथि से।
3. पागल होने की स्थिति में।
4. किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया करार दिए जाने पर न्यायालय के फैसले की तिथी से।
5. सर्वसम्मति द्वारा ट्रस्टीगण द्वारा निष्कासित किए जाने पर निष्कासन की तिथि से।
6. असामाजिक कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर।

प्रधान के अधिकार व कर्तव्य

1. ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करना और उसे सुचारू रूप से चलाना।
2. सभी पदाधिकारियों के कार्यों में समन्वय करना।
3. ट्रस्ट द्वारा किए गए कार्यों पर नियन्त्रण रखना, उनका निरीक्षण करना और ट्रस्टीगण को समय समय–पर आवश्यक रिपोर्ट देना।
4. ट्रस्ट के खाते देखना तथा धन इकट्ठा करना।
5. सभी बिलो पर हस्ताक्षर करना तथा उन्हें पास करना।
6. आवश्यता पड़ने पर ट्रस्ट कार्यों पर खर्च करने का अधिकार होगा तथा जिसे बाद में कार्यकारिणी की मीटिंग में पेश करना होगा।
7. मत समान होने पर कास्टींग वोट देने का अधिकार होगा ।

उपप्रधान

प्रधान की अनुपस्थिति में उपप्रधान के वह सभी अधिकार प्राप्त होगें जो प्रधान को प्राप्त है ।

सचिव

1– ट्रस्ट के समबन्ध में पत्राचार करना ।

2– ट्रस्ट के कार्यों कें सभी प्रबन्ध करना और उनकी देखभाल करना ।

3– प्रधान की आज्ञा अनुसार बैठक बुला कर एजेण्डा जारी करना सभी कागजात को सम्भाल कर रखना और उनकी पडताल करना।

4– बोर्ड आफ ट्रसटीज द्वारा पास प्रस्तावों को कार्यन्वित कराना ।

5– वार्षिक बजट तैयार करवा कर पेश करना ।

6– ट्रस्ट के लिए धन इक्टठा करना ।

8– प्रधान की सहायता से उपसमितियों का गठन करना

9– ट्रस्ट से सम्बंधित सभी प्रकार की आय को संग्रहित करना उसकी रसीद देना संग्रहित धन को कोषाध्यक्ष के पास भेजना ।

10– ट्रस्ट के हर प्रकार के रिकार्ड को सुरक्षित रखना तथा ट्रस्ट की कार्यवाही को वैधानिक रूप से चलाना ।

11– आगामी वर्ष के लिए प्रधान से परमार्श कर सभी कार्यक्रम बना अनुमानित बजट तैयार करना , मीटिंग में पेश करना आदि ।

नोट :– उपरोक्त सभी कार्य सचिव प्रधान के परमार्श से करेगा ।

सहसचिव

सचिव की अनुपस्थिति में सहसचिव को वह सभी अधिकार प्राप्त होगें जो भी सचिव को प्राप्त हैं ।

कोषाध्यक्ष

1– ट्रस्ट में होने वाल आय –व्यय का बयौरा रखना और खाता तैयार करना ।

2– यह कि ट्रस्ट का खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा तथा धन निकलवाने हेतू प्रधान, सचिव व कोषाध्यक्ष तीनों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगें ।

3– एक समय में कोषाध्यक्ष अपने पास 10000/– रूपये से अधिक नही रख सकेगा , शेष धन राशि तुरन्त बैंक में जमा कराना होगा ।

पदाधिकारियों के निर्वाचन में विलम्ब

यदि किन्ही कारणों से पदाधिकारियों के निर्वाचन नियम समय बीत जाने पर भी हो नही सके तो वही सदस्य कार्य करते रहेगें परन्तु ऐसा एक वर्ष से अधिक नही होना चाहिए ।

महत्वपूर्ण

यदि किसी समय उक्त ट्रस्ट द्वारा कार्य करना असंभव हो जाए तो उस अवस्था में ट्रस्टीगण सर्वसम्मति द्वारा प्रस्ताव पारित करके उक्त ट्रस्ट का विलय समान विचारधारा व समान उद्देश्य वाली पंजीकृत संस्था/ट्रस्ट/परिषद मे कर सकेगे। परन्तू ऐसा उसी बैठक में किया जायेगा जो विशेष रूप इसी उद्देश्य के लिए बुलाई जाएगी ।

मैने इस श्रद्धा व विश्वास के साथ इस ट्रस्ट की स्थापना की है कि सभी ट्रस्टी और पदाधिकारी पूरी जिम्मेवारी , ईमानदारी व लग्न एवं निष्ठा से ट्रस्ट के द्वारा आयोजित सभी कार्यो को पूरा करेगें तथा ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु निरन्तर

प्रयत्नशील रहेगें और जन सेवा द्वारा अपने जीवन को सफल बनाएगें ।

अत यह न्यास पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे दिनांक 1–3–2007 तदानुसार 10 फाल्गुन 1928 शाका मुकाम रोहतक

लेखक :– रामधारी वसीका नवीस रोहतक रजि0 न0. 248

Rajesh Nawal

श्री राजेश नवल जैन , प्रधान संस्थापक

साक्षीगण	ट्रस्टी	हस्ताक्षर
Dayachand Jain		
1– दयाचन्द नवल जैन	1– श्री अजय जैन	Ajay Kumar Jain
पुत्र हरसवरूप नवल जैन	2– श्री नरेश कुमार जैन	Naresh Jain
692/3, नजदीक पुरानी सब्जी मण्डी,	3– श्रीमति गीता जैन	Geeta Jain
बाबरा मौहल्ला, रोहतक।	4– श्री नकुल जैन	Nakul
	5– श्रीमति सरोज जैन	Saroj Jain
	6– श्रीमति रजनी जैन	Rajni Jain
2–दिनेश जैन पुत्र श्री दिलबाग राय जैन	7– श्री विवेक नवल जैन	Vivek
फलैट न0.18, वी0टी0आई0 कैम्पस,	8– श्री अचल जैन	Achal Jain
रोहतक ।		

Rajesh Nawal

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
10964	2006-2007	1

न्यासकर्ता

गवाह

न्यासकर्ता

राजेश नवल जैन Rajesh Nawal अजय जैन Ajay kumar Jain नरेश कुमार जैन Naresh Jain, गीता Geeta Jain
जैन ______ नकुल जैन [signature]
सरोज जैन Saroj Jain रजनी जैन Rajni Jain विवेक नवल जैन [signature] . अचल Achal Jain
जैन ______

उप पंजीयन अधिकारी
रोहतक

गवाह 1:- धर्म सिंह नम्बरदार ______ गवाह 2:- दयाचन्द नवल जैन ______

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 10,964 आज दिनाँक 01/03/2007 को बही नः 1 जिल्द नः 746 के पृष्ठ नः 130 पर पँजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 7,731 के पृष्ठ सख्या 25 से 27 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

दिनाँक 01/03/2007

उप पंजीयन अधिकारी
रोहतक
रोहतक